कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामपुर/मुरादाबाद।

कार्या0– हैलेट रोड़ मुरादाबाद– 244001,

पत्रांकः स–5/सीएफओ/आरपीआर/(स्कूल)/2019/ दिनांकः मार्च 07 ,2019

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक/प्राधानाचार्य,

ब्लूमिंग डेल्स मॉर्डन स्कूल,

काशीपुर रोड़ डिबडिबा,तहसील बिलासपुर व जिला रामपुर(उ0प्र0)।

विषय : ब्लूमिंग डेल्स मॉर्डन स्कूल,काशीपुर रोड़ डिबडिबा,तहसील बिलासपुर व जिला रामपुर(उ0प्र0)की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका प्रार्थना पत्र दिनांकः 25.02.2019,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत भवन में उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत भवन में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निरीक्षण के दौरान स्थापित एवं कार्यशील दशा में पायी गयी–

(क) भवन की संरचनाः–(तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी रामपुर के पत्रांकः भ–1/एफ0एस0/2000,दिनांकः 10.12.2000 के अनुसार अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है।)

प्रश्नगत शैक्षिक भवन हेतु पहुँचमार्ग 24.00 मीटर तथा भवन का प्रवेशद्वार 04.50 मीटर है,उक्त भवन भूतल से द्वितीय तल तक निर्मित है,जो वर्ष–2004 से संचालित है।

(ख)–उपलब्ध अभिलेखानुसार उक्त शैक्षिक भवन को दिनांकः 20.09.2004 से स्कूल की मान्यता प्राप्त है।

(ग)–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें :–प्रश्नगत् भवन में निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील दशा में पायी गयी–

1. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):–प्रश्नगत् भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित हैं।
2. फायर बकेटस स्थापित है।
3. एग्जिट साइनेजः– सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज मानकों के अनुसार स्थापित हैं।
4. पी0ए0सिस्टमः– भवन में पी0ए0सिस्टम कार्यशील दशा में स्थापित हैं,जिसे सदैव कार्यशील दशा में रखा जाये।

प्रबन्धक द्वारा संस्थान में उपलब्ध **32** अदद फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्याः–1120(1)/आठ, दिनांकः 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रू0 **320/–** भारतीय स्टेट बैंक शाखा जनपद रामपुर में चालान संख्याः 068659772 ,दिनांकः **05.03.2019** द्वारा जमा कराया गया।

(घ)–प्रश्नगत् भवन की सुरक्षा हेतु जनहित में उपरोक्त सुझावों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा–

1–प्रश्नगत भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखें जाये।

2–प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाये।

3–प्रश्नगत् भवन किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायें।

4–प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।

5–प्रत्येक 06 माह में एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेंन्सी इवैक्यूशन प्लान बनाया जाये। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाये।

6–वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7–प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत किया जा रहा पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

8–प्रश्नगत भवन का विद्युत सुरक्षा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा।

(मुकेश कुमार)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

मुरादाबाद

अतः प्रश्नगत भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं भवन में National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules–2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाऐं वांछनीय होगी। तथा अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु अग्निशमन कार्य में दक्ष स्टाफ की उपस्थिति बनाये रखने की शर्त पर प्रधानाचार्य,ब्लूमिंग डेल्स मॉर्डन स्कूल के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2019 के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या– 1141/छः–पु–8–2007–23 (विविध)/07 दिनांकः 01.06.2007 के अनुपालन में निर्गत तिथि से 01 वर्ष(एक वर्ष) के लिए अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरीक्षण आख्या निर्गत की जाती है/उपरोक्त अग्निशमन उपकरणों की अकार्यशीलता अथवा अनउपलब्धता की स्थिति में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरीक्षण आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(मुकेश कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रामपुर/मुरादाबाद।

(मुकेश कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद

प्रतिलिपि :–

1. अग्निशमन अधिकारी,रामपुर को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु प्रेषित।